कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

प्रशासनिक आदेश सं0–69
दिनांकित–09.06.2020

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई द्वारा अपने पत्र 310/ओ.एस.डी.–कोविड–19 दिनांकित 09.06.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाह्य स्थित न्यायालय कोंच, जनपद जालौन स्थान उरई परिसर में बढ़ते हुए कोविड–19 संकमण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट जोन/संकमित क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। नगरपालिका क्षेत्र कोंच के अन्तर्गत सम्पूर्ण गैर आवश्यक गतिविधियॉ प्रतिबन्धित की गई है तथा वाह्य स्थित न्यायालय परिसर भी उक्त कन्टेनमेन्ट जोन/संकमित क्षेत्र के अधीन है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 1117/LXXXVII दिनांकित 3, जून 2020 के प्रस्तर 14 में प्रदत्त निर्देश तथा माननीय न्यायालय के पत्रांक PS(RG)/52/2020 दिनांकित 02.05.2020 सपठित 25.03.2020 के अनुपालन में वाह्य न्यायालय कोंच को दिनांक 10.06.2020 से कन्टेनमेंट जोन परिवर्तित होने तक या माननीय उच्च न्यायालय के तत्संबंध में किसी अन्य आदेश तक बन्द किया जाता है। फलस्वरूप वाह्य न्यायालय कोंच में न्यायिक कार्य बन्द रहेगा।

आदेश की प्रति सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को सम्यक अनुपालनार्थ तथा सम्बन्धित अधिवक्ता बार, के सूचनार्थ अविलम्ब प्रेषित हो। एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सी0पी0सी0 उच्च न्यायालय के वेव लिंक पर सूचनार्थ अप–लोड की जाए तथा जन–सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित हो।

9/6/20

(अशोक कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
District Judge
Jalaun at Orai